# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

**प्रकरण संख्या :–87/25**

**प्रार्थी**

एस.आर.जी.हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड़, 321, एस.एम. लोढा, काम्पलैक्स, शास्त्री सर्कल के पास, उदयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यशपाल सिंह

**बनाम**

**अप्रार्थी**

- कपिल कुमार भार्गव पुत्र दाउलाल भार्गव, माताजी के मन्दिर के पास, ओसिंया, जिला जोधपुर
- नथकी देवी पत्नि महेन्द्र पुरी, 572 तलियो का मौहल्ला, तहसील ओसिंया, जिला जोधपुर
- श्री जितेन्द्र पुत्र श्री मिश्रीलाल, निवासी 91 रोड कॉलोनी, मसुरिया, जिला जोधपुर।
- महावीर पुत्र मिश्रीलाल, 91, रोड कॉलोनी, मसुरिया, जिला जोधपुर

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

**उपस्थिति :–**
**1–चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)**

**आदेश दिनांकः–** 09-03-2026

**आदेश**

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण कपिल कुमार भार्गव पुत्र दाउलाल भार्गव व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 5,00,000/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **कपिल कुमार भार्गव** की जायदाद **प्लॉट नम्बर 14, खसरा नम्बर 1688/3, मिसल नम्बर 02, ओसियां, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1125 वर्ग फीट, जिसके उत्तर में प्लॉट न. 15, दक्षिण में प्लॉट न. 13, पूर्व में रास्ता एवं पश्चिम में प्लॉट न. 19 आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 09.09.2024 तक 27,89,770/– भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/–मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 09.09.2024 तक 27,89,770/–वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2024 को नोटिस अंतर्गत धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 जारी किया। उक्त नोटिस का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में ऋण के सहआवेदक श्रीमती श्रीमती खुशबु जोशी को नोटिस जारी कर सूचित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2026.03.09 13:22:01 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20928793



Page 1 of 1